# 6. उत्तरदायित्व में भागीदारी – स्थानीय एवं राज्य स्तरीय निकायों की भूमिका

फोकस

आपदा के समय सरकारी और गैर-सरकारी संगठन दोनों प्रकार की एजेंसियां समाज को तैयार रहने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संकट के समय होम गार्ड, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस अध्याय में आपदा प्रबंधन में इन एजेंसियों की भूमिका तथा कार्यों को समझने का प्रयास किया गया है। ये एजेंसियाँ समाज की बेहतरी के लिए कार्य करती हैं।

**निम्नलिखित को पढ़िए.....**

***26 जनवरी, 2001, भुज में 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप***

*राज्य सरकार की 26 जनवरी, 2001 की रिपोर्ट में यह बताया गया कि 13,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा 1.67 लाख लोग जख्मी हुए। 21 जिलों में रह रहे लगभग 1.97 करोड़ लोग प्रभावित हुए। लगभग 3.20 लाख पक्के और कच्चे मकान तथा 14,000 झोंपड़ियां पूरी तरह से नष्ट हो गईं। लगभग 7.33 लाख पक्के और कच्चे मकान और 31,000 झोंपड़ियों का आंशिक रूप से क्षति पहुंची.....* ***कहां गलती हो गई? क्या इन मकानों का संरचनात्मक डिजाइन दोषपूर्ण था?***

***28 जनवरी, 2001*** *को राहत दल अहमदाबाद और भुज पहुंचने शुरू हो गये। लोगों ने, स्वयंसेवी संगठनों, व्यावसायिकों, सहायता एजेंसियों ने वहां सहायता सामग्री पहुंचाना शुरू कर दिया है।*

आइए हाथ मिलाएं और तैयार रहें। विद्यार्थी देश की भावी पीढ़ी होते हैं और वे समाज के रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने में सहायता देकर श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं।

*खान भुज कस्बे में एक ड्राइवर हैं। शुक्र है कि भूकम्प में उनके परिवार के किसी सदस्य को चोट नहीं आई; लेकिन उनका सारा कीमती सामान, नकदी और मकान नष्ट हो गया। भूकंप के पश्चात् 100 से भी अधिक निजी, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन राहत सामग्री पहुंचा रहे थे, लेकिन खान के परिवार के लिए एक टेन्ट भी नसीब नहीं हुआ और वे सड़क पर ही पड़े हुए थे....* ***समन्वय कार्य कौन करेगा?***

*बेचारे ड्राइवर खान ही अकेला भुक्तभोगी नहीं थे। और भी ऐसे कई बद-किस्मत परिवार थे। ऐसा आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। इस बारे में ज़रा सोचिए.... जब आपदाएं आती हैं तो सबक सिखा जाती हैं। इसके लिए हमें बहुत ऊंची कीमत यहां तक कि जान और माल की कीमत चुकानी पड़ जाती है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि आपदा के लिए योजना बनाना कितना महत्वपूर्ण है? तो क्या हम भुज जैसा एक और झटका सहने के लिए तैयार हैं? अब समय आ गया है कि हम अपने पिछले अनुभवों से सीखें।*

## आपदाओं का प्रबंधन

विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ ताल-मेल करके आपदाओं का प्रबंधन प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है।

**.....क्या आपको मालूम है कि कौन सी एजेंसियां हमारी सुरक्षा के लिए काम करती हैं?**

आइए उन एजेंसियों के बारे में जानें जो आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

## आपदा का प्रबंध कैसे किया जाता है?

देश में विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन के बारे में नीचे दिए गए चार्ट से आप बेहतर समझ सकोगे।

भारत में प्रशासनिक वर्गीकरण के बारे में आपने नागरिक शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा होगा।

| | |
|---|---|
| राष्ट्रीय → | नोडल मंत्रालय |
| राज्य → | राहत और पुनर्वास प्रभाग/आपदा प्रबंधन विभाग |
| जिला → | जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय |
| खण्ड → | पंचायत समिति का कार्यालय |
| गांव → | ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति |

भारत में संघात्मक शासन-प्रणाली के चलते केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अलग-अलग भूमिका है। राष्ट्र, राज्य, जिला एवं उप जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए एक संगठित प्रशासनिक तंत्र कार्य पर है।

प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत-बचाव तथा पुनर्वास कार्य करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार तो वित्तीय तथा संचार-तंत्र संबंधी सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में योगदान करती है।

### राष्ट्रीय स्तर

निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार अपनी ओर से पहल करती है :

1. आपदा की गंभीरता
2. राहत कार्य की मात्रा
3. राज्य सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं संभार-तंत्र में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता।

सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में आपदा प्रबंधन कार्य का समन्वय करने के लिए केन्द्र में गृह मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। सूखा पड़ने के मामले में आपदा प्रबंधन का कार्य कृषि मंत्रालय के अधीन कृषि तथा सहाकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। अन्य मंत्रालयों के कार्य क्षेत्र में आने वाली आपदाओं के मामले में उन्हें आपातकालीन सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा जाता है।

| क्रम सं. | आपदाएं | नोडल मंत्रालय |
|---|---|---|
| 1. | प्राकृतिक आपदाएं (सूखे को छोड़कर) | गृह मंत्रालय |
| 2. | सूखा | कृषि मंत्रालय |
| 3. | हवाई दुर्घटनाएं | नागरिक विमानन मंत्रालय |
| 4. | रेल दुर्घटनाएं | रेल मंत्रालय |
| 5. | रासायनिक आपदाएं | गृह मंत्रालय |
| 6. | जैविक आपदाएं | गृह मंत्रालय |
| 7. | नाभिकीय | गृह मंत्रालय |
| 8. | महामारियां | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |

### राज्य

प्राकृतिक आपदा से जूझने का दायित्व राज्य सरकार का ही है। केन्द्रीय सरकार की भूमिका तो वस्तुएं एवं वित्तीय संसाधनों की पूर्ति करने के रूप में सहायता प्रदान करने की है। राज्य के मुख्य मंत्री या मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति होती है जो राज्य में राहत कार्यों की देखभाल करती है। राहत आयुक्त प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अपने राज्य में राहत और पुनर्वास कार्यों के प्रभारी होते हैं। बहुत से राज्यों में राजस्व विभाग के सचिव राहत कार्य के प्रभारी होते हैं। राज्यों के पास 'राज्य राहत संहिता' नामक एक नियम-पुस्तक और राज्य आपात योजना होती है जो आपदा के प्रबंधन में उनका मार्गदर्शन करती है।

### जिला

जिला प्रशासन सभी सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु होता है। वास्तव में दिन-प्रतिदिन राहत पहुंचाने के कार्य की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर/उपायुक्त की होती है जिसके पास जिला स्तर के सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा पर्यवेक्षण की शक्तियां होती हैं

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को "स्वायत्तशासी संस्था" के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ये स्थानीय संस्थाएं पूर्व चेतावनी पाकर आपदाओं का मुकाबला करने, राहत सामग्री बांटने, पीड़ितों को आश्रय प्रदान करने तथा चिकित्सा सहायता आदि उपलब्ध कराने में एक प्रभावशाली साधन के रूप में कार्य कर सकती है।

जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक आपदा प्रबंधन समिति गठित की गई है और उसमें स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, पशु-चिकित्सा विभाग, जल एवं सफाई विभाग, पुलिस, अग्निशमन सेवा के अधिकारियों, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों आदि के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। आपदा प्रबंधन समिति मुख्यत: निर्णय लेने का काम करती है और आपदा प्रबंधन दलों की सहायता करती है।

ये दल कार्रवाई करते हैं तथा अग्निशमन सेवाओं, पुलिस, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित होते हैं।

**क्रियाकलाप 2**

दिल्ली जिला के, जो कि भूकम्पीय क्षेत्र (उच्च जोखिम क्षेत्र) है, जिला मजिस्ट्रेट के नाते स्कूल के बच्चों और स्कूल के आसपास रहने वाले समुदायों में जागरूकता पैदा करने के लिए आप क्या-क्या उपाय या क्रियाकलाप आयोजित करेंगे?

### खण्ड ( ब्लॉक )

खण्ड विकास अधिकारी/तालुका विकास अधिकारी ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन संबंधी सभी क्रियाकलापों के लिए नोडल अधिकारी होता है। ब्लॉक/तालुका स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नोडल अधिकारी होता है। इस समिति के अन्य सदस्यों में समाज-कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई विभाग, पुलिस, अग्निशमन सेवाओं के अधिकारी, युवा संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, सुविख्यात वरिष्ठ नागरिक, निर्वाचित प्रतिनिधि आदि शामिल होते हैं। ब्लॉक आपदा प्रबंधन समिति के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

- ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में ब्लॉक प्रशासन की सहायता करना
- आपदा प्रबंधन दलों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का समन्वय करना
- नकली अभ्यास करना

### गांव

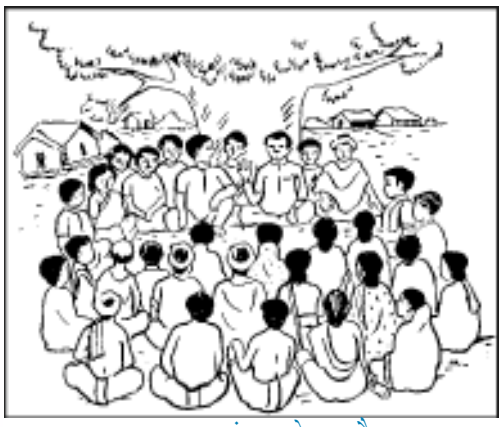

आपदा प्रबंधन योजना तैयार करते हुए ग्रामवासी

गांव स्तर पर ग्राम आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष सरपंच/गांव का मुखिया होता है और वह ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने और आपदा प्रबंधन दलों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। सदस्यों को यह देखना चाहिए कि विभिन्न जोखिमों के लिए ग्रामवासियों द्वारा नियमित अंतरालों पर नकली अभ्यास किए जाएं।

अपनी कक्षा में अपने मित्रों के साथ ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न आपदा प्रबंधन दलों के बारे में सोचिए और आपदाओं के समय आपदाओं के दौरान, आपदाओं से पहले और आपदाओं के बाद इन समितियों और उनके सदस्यों की भूमिका और उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा कीजिए।

यह सब जानते हैं कि अकेले सरकार आपदा प्रबंधन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों के अतिरिक्त अनेक ऐसे संस्थान हैं जो देश में विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन में लगे हुए हैं। इनमें शामिल हैं- पुलिस तथा अर्द्ध सैनिक बल, नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड्स, अग्निशमन सेवाएं नेशनल कैडिर कोर (एनसीसी), युवा संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दल, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यम, मीडिया आदि और सभी आपदा प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ संगठनों के कार्यों का नीचे उल्लेख किया गया है :

अपनी कक्षा में अपने मित्रों के साथ ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न आपदा प्रबंधन दलों के बारे में सोचिए और आपदाओं के समय, आपदाओं से पहले और आपदाओं के बाद इन समितियों और उनके सदस्यों की भूमिका और उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा कीजिए।

### 1. संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन दल ( यूएनडीएमटी ) -भारत

संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य समन्वय कार्यालय (यूएन ओसीएचए) को संयुक्त राष्ट्र महासभा के जनादेश द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं के समय कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत में यूएनडीएमटी आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारी तथा आपदाओं के प्रभाव को कम करने और आपदा जोखिम प्रबंधन में सरकार की क्षमताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। यूएनडीएमटी में एफएओ, आईएलओ, यूएनडीपी, यूएनएफपीए, यूनएनआईसीईएफ, डब्ल्यूएफपी और डब्ल्यूएचओ जैसी संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों का प्रतिनिधित्व है जो आपदा के समय सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। यूएनडीएमटी का प्रमुख उद्देश्य यूएन प्रणाली द्वारा आपदा संबंधी देशव्यापी त्वरित, प्रभावी और एकजुट तैयारी सुनिश्चित करना और उचित समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

यूएनडीएमटी बाढ़, चक्रवात, सूखे से होने वाली क्षति के बारे में विभिन्न द्विपक्षीय एजेंसियों (दूतावास, उच्चायोग और/या भारत सरकार के साथ समझौतों के जरिए विकास संबंध सहायता के लिए जिम्मेदार विभाग) और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करता है और साथ ही साथ आपात स्थितियों में एंव आपदा प्रबंधन संबंधी पहल करने के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए बहु-द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन करता रहा है। इस क्षेत्र में भारत सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए यूएनडीएमटी के पास संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों की योजना तैयार करने जैसी तंत्र-व्यवस्था है।

### 2. भारतीय सशस्त्र बल

सशस्त्र बल सरकार की ओर से जवाबी कार्रवाई करने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। वे तभी आगे आते हैं जब स्थिति नागरिक प्रशासन के सामर्थ्य से बाहर हो जाती है। प्रतिकूल जमीनी परिस्थितियों में कार्रवाई कर सकने, प्रचालनात्मक अनुक्रिया की गति और उनके पास उपलब्ध संसाधनों एवं क्षमताओं के कारण सशस्त्र बलों ने आपदा के तत्काल बाद संचार, खोज एवं बचाव अभियानों, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं, परिवहन, बिजली, भोजन एवं नागरिक आपूर्ति, लोक निर्माण कार्यों एवं इंजीनियरी जैसे आपात सहायता कार्यों में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

### 3. राष्ट्रीय केडिट कोर (एनसीसी)

1948 में गठित राष्ट्रीय केडिट कोर का उद्देश्य निम्नलिखित है :

- युवाओं में चरित्र, साहस, मैत्रीभाव, अनुशासन, नेतृत्व के गुणों, धर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण, साहसिक-कार्यों एवं खेल भावना तथा निस्वार्थ सेवा के गुणों का विकास कर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना
- संगठित, प्रशिक्षित एवं सक्रिय युवाओं की एक मानव शक्ति तैयार करना
- जीवन के सभी क्षेत्रों, सशस्त्र बलों सहित, में नेतृत्व प्रदान करना और स्वयं को देश सेवा के लिए अर्पित करना

स्थानीय अस्पताल में पीड़ितों की सहायता करते हुए एनसीसी के केडिट

**एनसीसी में भाग लीजिए और देश की सेवा कीजिए.....**

स्कूल जाने वाला हर भारतीय छात्र एनसीसी में शामिल हो सकता हैं स्कूलों और कॉलेजों के नियमित छात्र स्वेच्छा से एनसीसी में शामिल हो सकते हैं। अधिकारी और केडिट सक्रिय मिलिट्री सेवा करने के लिए बाध्य नहीं है। इसे चार डिवीजनों में बाँटा गया है (ये डिवीजन आर्मी के डिवीजनों जैसे नहीं हैं)। पहले दो डिवीजन हैं : कॉलेज छात्रों के लिए सीनियर डिवीजन और स्कूली छात्रों के लिए जूनियर डीवीजन। कॉलेज के छात्रों तथा स्कूली छात्रों को अलग-अलग प्रशिक्षण दिया जाता है। जूनियर डिवीजन में जाने के लिए आप जिस हाई स्कूल में पढ़ रहे हों वहां एनसीसी ट्रूप होना चाहिए। यदि ऐसा ट्रूप है तो आमतौर पर स्कूल के गेट पर एक बोर्ड लगा होता है जिस पर प्रतीक चिह्न एवं ट्रूप नम्बर लिखा होता है। यदि आप शारीरिक मानकों को पूरा करते हों और सब कुछ ठीक-ठाक हो तो आपको अपना किट मिल जाएगा जिसमें वर्दी, बैरेट कैप, कैप बैज, हेकल्स, वेब बेल्ट आदि शामिल हैं। एक पहचान पत्र भी जारी किया जाता है लेकिन इसमें समय लग सकता है क्योंकि यह बटालियन मुख्यालय से आता है। एक ट्रूप में 100 से अधिक कैडेट नहीं होते। इसलिए, यदि आप शामिल होना चाहते हों तो जल्दी कीजिए। भर्ती हर शिक्षा-वर्ष में होती है।

### 4. नागरिक सुरक्षा

**नागरिक सुरक्षा** का उद्देश्य शत्रुतापूर्ण किए गए आक्रमण की स्थिति में जीवन की रक्षा करना, सम्पत्ति के नुकसान को कम-से-कम करना और औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखना है। 1962 तथा 1965 के युद्धों की वजह से देश को दो बार झेलनी पड़ी आपात स्थिति के कारण भारत सरकार को अपनी आपातकालीन प्रशिक्षण गतिविधियों को प्राकृतिक आपदा से शत्रु के आक्रमण से जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने की

*Civil Defence volunteers being trained*

ओर मोड़ना पड़ा। केन्द्रीय आपात राहत प्रशिक्षण संस्था (सीईआरटीआई) के रूप में 29 अप्रैल, 1957 को नागपुर में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई ताकि यह भारत सरकार के आपात् राहत संगठन के प्रशिक्षण विंग के रूप में कार्य कर सके। यह केन्द्रीय संस्थान आपत सेवाओं का नेतृत्व करने वालों को अग्रिम तथा विशेष प्रशिक्षण देने की ओर ध्यान केन्द्रित करता है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए यह आवश्यक है। आज देश में लगभग 5,00,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक हैं।

### 5. राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)

आजादी के समय से ही छात्रों को राष्ट्रीय सेवाओं में शामिल करने के प्रति जागरूकता बढ़ती रही है। छात्रों द्वारा स्वेच्छा से राष्ट्रीय सेवा शुरू करने की सिफारिश प्रथम शिक्षा आयोग (1950) ने की थी। शिक्षा मंत्रालय ने 1969-70 के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना लागू की। राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है- **"नॉट मी बट यू"**। इसका अर्थ है कि व्यक्ति विशेष का कल्याण अन्ततः सम्पूर्ण समाज के कल्याण पर निर्भर करता है। एनएसएस का प्रतीक चिह्न है उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मन्दिर के "रथ का पहिया"। यह युवाओं में गतिशीलता एवं उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिचायक है। एनएसएस नियम-पुस्तिका के अनुसार, एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में नामांकित छात्र को दो वर्ष की लगातार अवधि में कम-से-कम 240 घंटे (यानि 120 घंटे प्रतिवर्ष) का उपयोगी समाज-कार्य करना चाहिए। प्रत्येक एनएसएस स्वयंसेवक को एक डायरी रखनी चाहिए। इससे वह अपने कार्य का मूल्यांकन कर सकता है। ऐसा स्वयंसेवक कालेज से **एनएसएस सेवा प्रमाणपत्र** पाने का पात्र होता है। कालेज में प्रत्येक एनएसएस यूनिट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निकट के किसी गांव/स्लम को अपनाए तथा छुट्टियों के दौरान उसके विकास के लिए कार्य करे। इस प्रयोजन के लिए अपनाए गए गांव/ग्रामीण इकाई/स्लम में, नियमित गतिविधियां और विशेष कैम्पों का अयोजन किया जाना चाहिए।

**तमिलनाडु में एनएसएस के लगभग 1200 स्वयंसेवक राहत सामग्री लेकर सूनामी प्रभावित क्षेत्रों में विशेषकर गंदी बस्ती क्षेत्रों में फैल गए हैं। पांडिचेरी में भी एनएसएस स्वयंसेवकों को राहत कार्य में लगाया गया है। वे एनएसएस के क्षेत्री निदेशक की देखरेख में लगातार कार्य कर रहे हैं।**

### 6. नेहरू युवा केन्द्र

नेहरू युवा केन्द्रों की शुरूआत भारत की स्वतंत्रता की रजत जयंती समारोह के अंग के रूप में वर्ष 1972 में की गई थी। इसकी शुरूआत राष्ट्रीय युवा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं (गैर-छात्र) को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में हिस्सा लेने तथा अपने स्वयं के व्यक्तित्व एवं कौशल का विकास करने का सुअवसर भी प्रदान करना था। स्वयं सेवक के रूप में सदस्यों ने आपदा के समय समाज की कई प्रकार से सहायता की है। आजकल यह संगठन युवा-मामले एवं खेलकूद मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन एक पंजीकृत संस्था है जो युवा-मामले एवं खेलकूद मंत्री की अध्यक्षता में एक शासक-मंडल द्वारा संचालित किया जाता है।

### 7. होम गार्ड्स

होम गार्ड्स एक स्वयंसेवी बल है। पहली बार दिसम्बर 1946 में इसका गठन नागरिक अशांति तथा साम्प्रदायिक दंगों पर नियंत्रण करने में पुलिस की सहायता के लिए किया गया। बाद में, कई राज्यों ने नागरिकों के इस स्वयंसेवी बल को स्वीकार कर लिया। 1962 में चीनी आक्रमण होने पर केन्द्र ने राज्यों और

संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी कि वे अपने-अपने मौजूदा स्वयंसेवी संगठनों को एक ही स्वयंसेवी बल अर्थात् 'होम गार्ड्स' में विलय कर दें। होम गार्ड्स के कार्य हैं :

- आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के एक सहायक बल के रूप में कार्य करना
- किसी भी प्रकार की आपातस्थिति, जैसेकि हवाई हमला, आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की सहायता करना
- अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने में मदद करना
- साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना और कमजोर वर्गों के लोगों को संरक्षण प्रदान में प्रशासन की सहायता करना
- सामाजिक-आर्थिक और कल्याण गतिविधियों में भाग लेना तथा नागरिक सुरक्षा कार्य करना।

**आपदा प्रबंधन को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना**

एक सक्षम बल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्कूल से तकनीकी कॉलेजों, प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में आपदा प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ये पाठ्यक्रम आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं के बारे में छात्र को जानकारी देने के लिए तैयार किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) जैसे देश के अग्रणी संस्थान विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर देश में मानव संसाधनों की कार्य कुशलता को उन्नत बनाना चाहते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीसीई) ने इंजीनियरी में आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसी प्रकार के पाठ्यक्रम वास्तुकला, शहरी आयोजना, चिकित्सा पाठ्यक्रम आदि में शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) तथा भारतीय वन सेवा (आईएफएस) आदि के बुनियादी पाठ्यक्रम का भी एक हिस्सा बनाया गया है।

## आगे और अध्ययन के लिए संदर्भ :

http://mha.nic.in/ch13.html
http://www.iitd.ac.in/~nss/
http://www.annauniv.edu/nss/aboutnss.htm
www.nyks-india.org

## अभ्यास

1. यदि आप असम राज्य के राहत आयुक्त होते जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो आपको कौन-से पाँच विभागों से संपर्क करने की आवश्यकता पड़ती।
2. जिला स्तर की आपदा प्रबंधन समिति के चार सदस्यों के नाम लिखें।
3. राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें।
4. उन संस्थाओं के नाम लिखें जो राज्य सरकार के कार्यकत्ताओं को आपदा के समय सहायता प्रदान करती हैं।
5. आपदा का सामना करने के लिए केन्द्र सरकार की भूमिका का वर्णन करें।

# 7. लोगों के लिए, लोगों के द्वारा पहले से योजना बनाना

**फोकस**

*57 वर्षीय गोपाल हजोंग अपने 5 सदस्यों के परिवार के साथ असम के नलबाड़ी गांव में रहते थे। हर वर्ष निर्दयी ब्रह्मपुत्र नदी उसके मकान को बहा ले जाती थी। उसके मकान के अतिरिक्त पूरा गांव प्रभावित होता था और नब्बे प्रतिशत मकान बह जाते थे। एक दिन एक प्रशिक्षित स्वयंसेवक उसके पास आया और कहा कि वर्षों से हो रहे नुकसान को वे कम कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए सामुदायिक योजना तैयार करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी गांववालों की सहायता से गांव का नक्शा तैयार किया। यह नक्शा उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस कार्य में उन्हें तीन दिन लगे।*

*दिन-प्रतिदिन नक्शे में नए ब्यौरे शामिल किए जाने लगे और अन्ततः प्रत्येक मकान का ब्यौरा नक्शे में शामिल हो गया। नक्शा तैयार करने के इस काम से गांववालों को यह पता लगाने का मौका मिल गया कि सबसे अधिक असुरक्षित स्थान कौन-सा है। इस पर हुई बहस से यह स्पष्ट हो गया कि स्थिति में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। गांववालों ने यह निर्णय किया कि अब से सभी मकान ऊंचे स्थान पर बनाए जाएंगे और पीने के पानी की समस्या से निपटने के लिए सभी नलकूप ऊंचे किए जाएंगे। तब सभी गांववालों ने इस विशाल कार्य में अधिक-से-अधिक योगदान करने का निर्णय किया और ग्रामीण आपदा प्रबंधन दलों का गठन किया।*

कक्षा 9, अध्याय 6 में हमने आपदाओं के संबंध में सामुदायिक योजना की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की थी। उस अध्याय से आगे इस अध्याय में सामुदायिक स्तर पर आपदाओं से निपटने की तैयारी के बारे में व्यावहारिक उपाय करने की रूपरेखा बताई गई है। इसमें महत्वपूर्ण उपायों को शामिल किया गया है, जैसे पास-पड़ौस में या समुदाय में जागरूकता पैदा करना, स्थिति का विश्लेषण करना, कार्य बल का गठन करना और जोखिम को कम-से-कम करने के लिए दीर्घावधि उपाय करने के संबंध में योजना तैयार करना।

## सामुदायिक योजना

सामुदायिक योजना एक उन्नत योजना प्रक्रिया है। इस योजना से मानव एवं सामग्री संबंधी संसाधनों का पता चलता है और प्रभावशाली कार्रवाई प्रणाली स्थापित होती है। इसमें बस्ती में रहने वाले लोगों को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेने के लिए सक्रिय भागदारी की आवश्यकता होती है।

दूसरे शब्दों में, सामुदायिक योजना उन क्रियाकलापों की एक सूची है जिनके लिए पास-पड़ौस, समुदाय अथवा लोगों द्वारा सहमति दी जाती है ताकि चेतावनी मिलने या आपदा आने की स्थिति में जीवन, आजीविका तथा सम्पत्ति की क्षति को रोका जा सके। इस योजना में पहले यह बता दिया जाता है कि जब कोई चेतावनी मिले या आपदा आन पड़े तो अलग-अलग व्यक्तियों, समुदाय अथवा लोगों द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्यादा जोर घटना के संभावित परिदृश्य को समझने और मानवीय क्रियाओं के प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित करने पर दिया जाता है।

### हमें योजना बनाने की आवश्यकता किसलिए होती है?

हम किसी भी गंभीर घटना के लिए योजना बना सकते हैं। यह योजना निहित क्रियाओं या प्रक्रियाओं की मात्रा तथा संभावित घटना के कारण प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या पर निर्भर करती है। इनमें सर्वाधिक आम प्राकृतिक आपदाएं या औद्योगिक आपदाएं हो सकती हैं जिनका मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। आपदाओं के लिए सामुदायिक योजना का प्रमुख उद्देश्य संबंधित समुदाय की असुरक्षा की संभावना को कम करना तथा आपदा का मुकाबला करने की उसकी मौजूदा क्षमता को सुदृढ़ बनाना होता है। समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन योजना की दृष्टि से आपदा प्रबंधन में लोगों की भागीदारी होना अनिवार्य है। तैयारी के चरण में इसमें लोगों को शामिल करने से आपातकालीन परिस्थितियों में समुदाय द्वारा समन्वित कार्रवाई किए जाने की संभावना बढ़ जाती है।

**आकस्मिक योजना यह हो सकती है :**

- मानवीय क्रियाओं और जरूरतों को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदा
- महामारी का फैलना या स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या पैदा होना
- औद्योगिक दुर्घटनाएं (स्थल से संबंधित/स्थल से परे की योजना) होना
- स्टाफ को खतरा, स्टाफ को हटाया जाना, परिसर पर आक्रमण आदि होना
- सिविल आबादी को प्रभावित करने वाला विवाद भड़कना
- खाद्य पदार्थों या अन्य वस्तुओं की कमी होना

### लोगों की आकस्मिक योजना का महत्व

यह जरूरी नहीं है कि आकस्मिक योजना अत्याधुनिक, बहुत अधिक वैज्ञानिक अथवा कम्प्यूटर पर तैयार की गई कोई आदर्श योजना हो। इसमें योजना की प्रक्रिया को दर्शाने वाले अनेक चित्र होना भी जरूरी नहीं है। तकनालॉजी का उपयोग अथवा परिष्कृत विश्लेषण केवल तब उपयोगी होता है जब इसमें लोगों की भागीदारी भी हो।

**लोगों की आकस्मिक योजना क्यों?**

- उन्हें अपने जोखिम तथा क्षमताओं के बारे में बेहतर जानकारी होती है।
- वे जहां रहते हैं उन्हें वहां की और किसी आकस्मिकता से निपटने में समुदाय की ताकत और कमजोरियों की भी अच्छी जानकारी होती है।
- पहले-पहल जवाबी कार्रवाई करने वाले वे ही होते हैं।
- अन्ततः नुकसान उठाने वाले भी वे ही होते हैं। यदि कोई ऐसी स्थिति पेश आए तो उनकी योजनाएं अपेक्षाकृत अधिक प्रभावकारी होंगी।

विभिन्न खतरों के लिए लोगों द्वारा कामचलाऊ आकस्मिक योजना बनाने के लिए सामान्यतया बुनियादी सूचना, जोखिम का मूल्यांकन और आसूचना का विश्लेषण उपलब्ध होना ही पर्याप्त होता है। कार्य-योजना बनाना किसी अकेले व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता क्योंकि ज्यादा-से-ज्यादा लोगों के अनुभव और सूचना के आधार पर बनाई गई कार्य योजना ज्यादा सही साबित होती है।

आकस्मिक योजनाएं विभिन्न स्तरों पर तैयार की जाती हैं जैसेकि पास-पड़ौस, ग्रामीण, खंड, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर। इसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों संगठनों को शामिल करके इसे बहुत ही खास बनाया जाना होता है। योजना लोक-केन्द्रिक होनी चाहिए अतः इसी कारण इसे लोगों की आकस्मिक योजना का नाम दिया गया है।

प्रभावकारी आकस्मिक योजना बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को शामिल करना आवश्यक है। योजना बनाने और विकसित करने में समाज के सक्रिय सदस्य आगे आते हैं। आपदा के दौरान कारगर समन्वय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सबसे निचले स्तर पर तैयार की गई योजना उच्च स्तरों पर तैयार की गई योजनाओं के आधार पर ही होनी चाहिएं।

**सामुदायिक आकस्मिक योजना को किन बातों का उत्तर देने योग्य होना चाहिए?**

आकस्मिक योजना से आपदा के संबंध में तैयारियों के बारे में **कौन, कहां, कब, क्या और क्यों** का उत्तर मिलना चाहिए। योजना से निम्नलिखित का उत्तर मिलना चाहिए :

| | |
|---|---|
| **कौन/किसे** | किसे क्या काम सौंपा गया है?<br>कौन कहां रह रहा है?<br>किसे प्राथमिकता दी जाए?<br>संदेशों को कौन सुनेगा?<br>कौन क्या जुटाएगा? |
| **कहां/किधर** | कहां सूचित किया जाए?<br>प्रत्येक परिवार कहां रहता है?<br>वे किधर जाते हैं?<br>वे कहां काम करते हैं?<br>आश्रय के लिए सुरक्षित स्थान कहां है? |
| **कब** | क्या यह घटना पूर्व चेतावनी के साथ हुई : (घटना से काफी पहले या पूर्व-चेतावनी मिलने पर/घटना या सीज़न से ठीक पहले/घटना के बाद) क्या यह अचानक हुई घटना है : (घटना से पूर्व तैयारी संबंधी उपाय/घटना के दौरान/घटना के बाद) |
| **क्या** | समुदाय स्तर पर क्या उपाय किए गए हैं?<br>उपलब्ध संसाधन क्या हैं?<br>आपात-स्थिति से निपटने के लिए क्या-क्या सामग्री जमा की जाए?<br>क्या-क्या उपकरण उपलब्ध हैं?<br>सुरक्षित आश्रय स्थलों और उपकरणों की क्या स्थिति है?<br>भिन्न-भिन्न समय अंतरालों में क्या-क्या किया जाना है? |
| **कैसे** | किसी स्थान पर कैसे पहुचा जाए?<br>संदेश कैसे प्राप्त किया जाए?<br>पूर्व-चेतावनी मिलने पर संदेश को कैसे प्रसारित किया जाए?<br>लोगों का सुरक्षित स्थानों पर भेजने की योजना कैसे तैयार की जाए?<br>सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? |
| **क्यों** | उपर्युक्त प्रत्येक प्रश्न क्यों? |

नोट : इसे पूरी सूची न माना जाए। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है।

आकस्मिक योजना के बाद विभिन्न व्यक्तियों द्वारा ऑपरेशनल योजनाओं का पालन किया जाता है। अभ्यास के दौरान सीखे गए पाठों से योजना में आगे और सुधार किया जाना चाहिए।

## योजना कैसे तैयार की जाए और आकस्मिक योजना में क्या-क्या बातें शामिल होनी चाहिए?

आकस्मिक योजना बनाने का कार्य समाज के सभी वर्गों के लिए भाग लेने का एक मंच और सुअवसर है। योजना बनाने में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। एक-दूसरे के विचारों में मतभेद हो सकता है लेकिन इससे योजना प्रक्रिया को हमेशा लाभ ही होगा क्योंकि इससे सभी बातों की जांच-परख करने तथा उनमें सुधार करने का उपयोगी मंच प्राप्त होता है। इस प्रकार अंतिम रूप से जो परिणाम प्राप्त होता है वह अधिक यथार्थपरक होता है। आकस्मिक योजना तैयार करने के काम में कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह भी योगदान कर सकता है। योजना के विकास में हर व्यक्ति को उचित महत्व दिया जाता है।

इस भाग में हम आकस्मिक योजना तैयार करने की प्रक्रिया पर विस्तार से गौर करेंगे। चूंकि भौगोलिक क्षेत्र, जोखिम-स्थल, एक्सपोज़र, असुरक्षा संबंधी पहलू और निहित प्रक्रियाओं के रूप में स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए प्रक्रिया का ठीक-ठीक निर्धारण नहीं हो सका है। विशेष सामुदायिक आकस्मिक योजना में निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल होंगी :

- प्रारंभिक जागरूकता और संपर्क निर्माण
- समुदाय की रूपरेखा तैयार करना
- भागीदारी के आधार पर स्थिति का विश्लेषण करना
- कार्यबलों का चयन, सांकेतिक उत्तरदायित्व एवं क्षमता निर्माण
- अभ्यास/नकली ड्रिल

ग्रुप चर्चा करते हुए लोग

### 1. सम्पर्क साधना एवं प्रारंभिक जागरूकता

वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीण स्वयं-सहायता दलों, युवा क्लबों, निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि से संबंध बनाना समुदाय आकस्मिक योजना तैयार करने की दिशा में पहला कदम है। इसका प्रमुख उद्देश्य उन्हें प्रेरित करना और योजना प्रक्रिया में शामिल करना है। सामान्यतया, ग्राम स्तर पर कार्यरत सरकारी मुलाजिम, निर्वाचित प्रतिनिधि और स्वयंसेवी संगठन समुदाय स्तर पर योजनाएं तैयार करने में मदद करते हैं।

समुदाय को सुग्राही बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक

हाल ही की आपदा संबंधी घटना, इसमें शामिल क्षति और जोखिमों की चर्चा करने से प्रारम्भिक रूचि पैदा हो सकती है। इस चर्चा में सभी को भाग लेना चाहिए। यदि समुदाय की याद में चर्चा के लिए हाल का कोई अनुभव न हो तो भी आसपास के क्षेत्रों की घटनाओं पर चर्चा की जानी चाहिए।

इन चर्चाओं के दौरान आपदा से निपटने के लिए उपलब्ध किसी स्थानीय जानकारी की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि सूचना प्राप्त की जाए और स्थिति का विश्लेषण करने के लिए सार्थक प्रक्रिया के रूप में इसे आगे बढ़ाया जाए।

नीचे दिए गए अनुसार जागरूकता पैदा करने वाली विभिन्न तकनीकें अपनाकर सामुदायिक भागीदारी को जुटाना एक महत्वपूर्ण कार्य है :

- जन सभाएं
- सांस्कृतिक गतिविधियां
- नुक्कड़ नाटक
- दृश्य/श्रव्य उपकरण

- पोस्टरों का प्रदर्शन

इस जागरूकता अभियान से लोगों को योजना बनाने की आवश्यकता को समझने में मदद मिलेगी।

### 2. ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति (वीडीएमसी) का गठन

ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति (वीडीएमसी) का गठन प्रत्येक गांव में किया जाता हैं और यह समिति आपदा संबंधी तैयारियां करने के लिए उत्तरदायी होती है। इस समिति में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों, साधारण स्तर के सरकारी कर्मचारियों, गैर-सरकारी संगठनों, सीबीओज़, युवाक्लबों तथा महिला समितियों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का मुखिया आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए समाज को एकजुट करता है।

### 3. समुदाय की रूपरेखा तैयार करना

इसमें निम्नलिखित से संबंधित आंकड़े/सूचना प्राप्त की जाती है, अर्थात्:

- आबादी
- स्थानीय संसाधन (दोनों-जैसे कुशल मानवशक्ति, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, भूतपूर्व सैनिक आदि, और सामग्री - जैसे नावें, जनरेटर आदि)
- बस्ती में मकानों की बनावट (आरसीसी, टाइलयुक्त आदि)
- फसल एवं व्यवसाय की रूपरेखा

### 4. पूर्व में आयी आपदाओं की समीक्षा एवं विश्लेषण

इसका संबंध आपदाओं के बार-बार आने तथा उनसे होने वाली क्षति के विश्लेषण के आधार पर आपदाओं को प्राथमिकता प्रदान करने से है। गांव के बड़े-बूढ़ों की मदद से यह काम किया जा सकता है। गांव के लोग विभिन्न आपदाओं के दौरान हुई क्षति का विश्लेषण करते हैं और उस दौरान अपनाए गए श्रेष्ठ उपायों को ध्यान में रखते हैं। स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर समाज के सदस्यों को किए जाने वाले कार्य का दायित्व सौंपा जाता है।

**ग्रामीण आपदा प्रबंधन से दर्जनों की जान बचायी जाती है.....**

तमिलनाडु के कुडलूर जिले में समुद्र तट के एक गांव के ग्रामीण आपदा प्रबंधन पर पाठ सीख रहे थे तभी उन्हें हत्यारी सुनामी लहरों ने घेर लिया। सीखा गया पाठ तत्काल उनके काम आया और बहुत से लोगों की जान बचायी जा सकती। 2000 की आबादी वाले इस गांव में मरने वालों की संख्या 21-22 तक सीमित रही। गांव वालों को कहा गया कि समुद्र में डूबते समय वे सूखे पेड़ के तने या खाली ड्रमों का इस्तेमाल करें। इस गांव में ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का गठन पिछले साल अक्टूबर में ही किया गया था। टीम में शामिल महिलाओं को पीड़ित व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के काम में लगाया गया।

स्रोत : दैनिक जागरण

### 5. आपदाओं से संबंधित मौसम कैलेण्डर

विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए समुदाय आपदाओं के घटित होने के आधार पर मौसम संबंधी कैलेण्डर तैयार करता है :

**आपदाओं के बारे में मौसम संबंधी कैलेण्डर**

| | खतरा | जन. | फर. | मार्च | अप्रैल | मई | जून | जुलाई | अग. | सित. | अक्टू. | नव. | दिस. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बाढ़ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 2. | चक्रवात | | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | |
| 3. | सूखा | | | | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| 4. | वनों में आग | | | | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| ✓ | | घटित होने का महीना | | | | | | | | | | | |

## 4. नक्शा तैयार करना

ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का एक महत्वपूर्ण कार्य स्वयं समुदाय द्वारा ग्राम को खतरे, असुरक्षा तथा उसकी क्षमताओं की योजना का खाका तैयार करना है क्योंकि वास्तविक आंकड़े एकत्र करने के लिए यह एक सरल एवं कम लागत वाला उपाय है। यह कार्य सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पार्टिसिपेटरी रूरल एप्रेजल) के जरिए किया जा सकता है। खाका तैयार करने के इस कार्य का उद्देश्य विशेषकर कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए योजना प्रक्रिया को चित्रों द्वारा प्रस्तुत करना है। इस प्रकार, महिला-पुरूष और जाति तथा अन्य प्रकार से बटी अधिकांश ग्रामीण आबादी को इस कार्य में शामिल करना सुनिश्चित किया जा सकेगा। ग्रामीणों/समुदाय के सदस्यों को विभिन्न मदों और संकेतकों के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध पत्थरों, कलर पाउडर आदि का प्रयोग करते हुए जमीन पर ही नक्शे बनाने के प्रोत्साहित किया जाता है। नक्शे निम्न प्रकार के होते हैं :

गांव में नक्शा बनाने का कार्य चल रहा है।

### (क) सामाजिक नक्शा बनाना

ग्रामीणों/समुदाय को बस्ती का सम्पूर्ण नक्शा चित्रों द्वारा दिखाया जाना चाहिए। इस नक्शे में निम्नलिखित दिखाए जाने चाहिएं।

- क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति के अनुसार मकानों की स्थिति।
- पक्के एवं कच्चे मकानों की संख्या
- अन्य बुनियादी सुविधाएं (उदाहरण के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, पीने के पानी की सुविधाएं, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, टेलिफोन, सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली, सड़क, बिजली आदि)

**क्रियाकलाप**

10 छात्रों का एक दल बनाईए और अपनी बस्ती का सामाजिक नक्शा तैयार कीजिए जिसमें मकानों, सामुदायिक स्थलों, सड़कों आदि को दर्शाया गया हो। नक्शे में दर्शायी गई प्रत्येक मद को प्रतीक चिह्न दीजिए जैसाकि आपके दायीं ओर के नक्शे में दिखाया गया है।

पथापेटा गांव का सामाजिक नक्शा

### (ख) संसाधनों को नक्शे में दिखाना

इसमें स्थानीय तौर पर उपलब्ध उन संसाधनों और उपयोगी स्थलों की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिनका उपयोग आपदा के दौरान एवं आपदा के पश्चात् समुदाय की क्षमताओं का विकास करने के लिए किया जा सकता है। व्यक्ति-विशेष के कौशल को भी नक्शे में दिखाया जा सकता है। इस प्रकार संसाधनों का नक्शा उपलब्ध संसाधनों को दर्शाने वाली ही नहीं होता, बल्कि इसमें इनके वितरण, पहुंच तथा इस्तेमाल को भी दर्शाया जाता है।

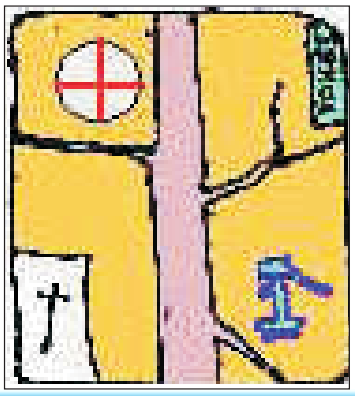

क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को नक्शें में दिखाने में निम्नलिखित शामिल हैं :

- व्यक्ति विशेष के कौशल (समुदाय के प्रमुख व्यक्ति/डॉक्टर/ड्राइवर, तैराक आदि)
- क्षेत्र के इर्द-गिर्द संसाधन (नावें, खाद्य सामग्री आदि)
- महत्वपूर्ण स्थान जैसे खुली जमीन/निचाई/ऊँचाई पर स्थित क्षेत्र
- सुरक्षा बांध
- जल-निकासी सुविधाएं
- कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, मैंग्रोव रोपण, आश्रय स्थल आदि

असम की ग्राम योजना के तहत समुदाय द्वारा तैयार किया गया यह चित्र संसाधनों का एक नक्शा है। इस नक्शे में मानव संसाधनों, आपात स्थिति के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले उपकरणों, खाली स्थानों आदि को दिखाया गया है।

### (ग) असुरक्षित स्थलों का नक्शा तैयार करना

नक्शा तैयार करने के इस काम में समुदाय के सदस्यों से यह जानकारी रखने की आशा की जाती है कि गांव को किस प्रकार के खतरों की संभावना है और ऐसे कौन-से क्षेत्र हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, जैसे

- मकानवार असुरक्षित इलाके
- असुरक्षित मकान एवं टूटी-फूटी इमारत
- बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले निचले क्षेत्र
- भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्र
- खतरनाक उद्योगों/बिजली प्रतिष्ठानों/ऊंची और कमजोर इमारतों आदि की अवस्थिति
- तंग सड़कें

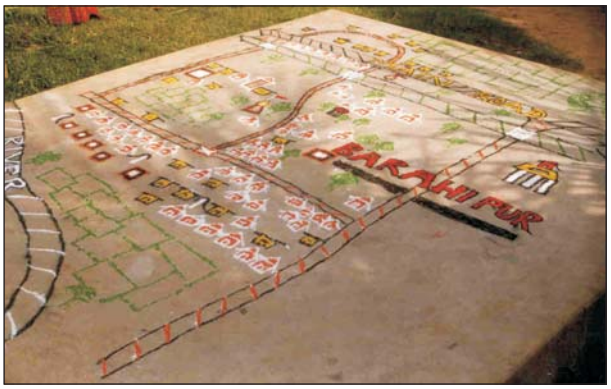


बरहीपुर गांव के असुरक्षित स्थानों को दिखाने वाला नक्शा

### (घ) सुरक्षित एवं वैकल्पिक मार्गों का नक्शा तैयार करना

इस कार्य में समुदाय के सदस्यों को यह जानकारी होने की उम्मीद की जाती है कि वे कौन-से क्षेत्र हैं जो सुरक्षित हैं। उदाहरण के तौर पर, जिन क्षेत्रों में बार-बार बाढ़ आती है में यह पता होना चाहिए कि वहां कौन से मकान ऊंचाई पर हैं, कौन सी बहु-मंजिली इमारतें हैं और कौन से टीलें हैं।

इस नक्शे में उस क्षेत्र में पहुंचने का सबसे सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग भी दिखलाया जाना चाहिए। यह सड़क मार्ग या जलमार्ग भी हो सकता है।

## 5. आपदा प्रबंधन दलों (डीएमटी) का चयन

स्थिति का विश्लेषण करने और संसाधनों का नक्शा तैयार करने के बाद अगला कदम गांव/वार्ड/नगर में आपदा प्रबंधन दलों/कार्यबलों का गठन करना होता है ताकि संकट की किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा सके।

### आपदा प्रबंधन दलों का चयन

समुदाय के इच्छुक तथा सक्रिय स्त्री-पुरुष आपदा प्रबंधन दलों के सदस्य हो सकते हैं। आपदा प्रबंधन दलों/कार्य बलों के सदस्यों में अनुभवी एवं कुशल लोगों जैसे डॉक्टरों, नर्सों, अग्निशमन कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिकों, पुलिस कार्मिकों, तैराकों, ऐसे युवाओं को जो स्काउट / एनसीसी / एनएसएस में रहे हों तथा नागरिक सुरक्षा कार्मिकों, महिला समिति के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। 400-500 मकानों वाली एक इकाई में 25 सदस्यों का एक कार्य बल होना आदर्श स्थिति है। यदि क्षेत्र या समुदाय बड़ा हो तो इन कार्यबलों की संख्या बढ़ायी जा सकती है। चुने हुए कार्य बलों को आपदा से पूर्व/आपदा के दौरान तथा आपदा के पश्चात् सौंपे जाने वाली जिम्मेदारियों का निर्धारण करना आवश्यक है। विभिन्न कार्य बल निम्न प्रकार हैं :

पूर्व चेतावनी दल, प्राथमिक चिकित्सा दल, बचाव एवं खाली कराने वाला दल, आश्रय स्थल प्रबंधन, राहत दल, पानी एवं सफाई दल, शव-निपटान दल, मानसिक आघात निवारण परामर्श, क्षति मूल्यांकन।

**क्रियाकलाप**

कोई एक दल चुनिए और आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदा के पश्चात् दल के सदस्यों की भूमिका और उत्तरदायित्वों का उल्लेख कीजिए।

## 6. आपदा प्रबंधन दलों ( डीएमटी ) को प्रशिक्षण

गांव के स्वयंसेवकों को खोज एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

चुने हुए दल के सदस्यों को खास कौशलों में अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे कि वे आपदा की स्थिति में अपने निर्धारित कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकें। वे आपदा प्रबंधन दल जिन्हें प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है, ये हैं:

1. प्राथमिक चिकित्सा दल
2. बचाव एवं क्षेत्र को खाली कराने वाला दल
3. पानी एवं सफाई व्यवस्था
4. मानसिक आघात निवारण परामर्श

आपदा प्रबंधन दलों/कार्य बलों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने हेतु अग्निशमन सेवा, स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र, रेडक्रास, सेंट जॉन एम्बुलेंस आदि की सहायता ली जाती है।

## 7. पूर्वाभ्यास / नकली ड्रिल और योजना को अद्यतन बनाना

नकली ड्रिल करते हुए ग्रामीण आपदा प्रबंधन दल

आग से दुर्घटना होने पर किए जाने वाले उपायों के बारे में नकली ड्रिल करते हुए ग्रामीण कार्य बल के सदस्य

वास्तविक आपदा की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई की ड्रिल/पूर्वाभ्यास करना महत्वपूर्ण है। नकली ड्रिल आपदा संबंधी तैयारी की योजना का अभिन्न अंग है क्योंकि समुदाय को सतर्क रखने के लिए यह तैयारी सबंधी ड्रिल है।

ड्रिल मूलत: योजना के अनुसार किये जाने वाले वे कार्य हैं जो प्राय: नकली तौर पर किये जाते हैं और जिनके बारे में लोगों को पहले सूचित कर दिया जाता है। यदि इनका अभ्यास पहले कई बार कर लिया जाय तो समुदाय स्थिति के अनुसार कार्रवाई करने के लिए भलीभांति तैयार हो जायेगा। आमतौर पर वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता है। चक्रवात या बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में यह ड्रिल साल में दो बार, पहली चक्रवात / बाढ़ के मौसम से ठीक पहले तथा दूसरी 6 महीने के बाद की जाए। ये ड्रिल साल में कम-से-कम दो बार की जानी चाहिए। योजनाएं सिर्फ कागजी योजनाएं बनकर न रह जाएं। ये प्रभावकारी तथा कार्यसाधक होनी चाहिए। योजना से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि इससे कार्य बल के सदस्यों की जिम्मेवारी और उस क्षेत्र में रह रहे

परिवारों/व्यक्तियों को ध्यान में रखा जाय। समय बीतने के साथ-साथ उस क्षेत्र विशेष में कई परिवर्तन/परिस्थितियों में बदलाव हुए होंगे जिसके लिए आकस्मिक योजना बनाई गई है। इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि योजना में हर छह महीने में या साल में कम से कम एक बार अद्यतन सूचना के आधार पर संशोधन किया जाए। समुदाय द्वारा तैयार की गई कार्य योजना का उद्देश्य क्षेत्र का विकास करना होना चाहिए। यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि समुदाय द्वारा तैयार की गई योजना का क्षेत्र के लिए तैयार किये गये बड़े कार्यक्रमों/विकास योजनाओं के साथ कारगर तालमेल होना चाहिए।

## छात्रों के लिए सुझाए गए क्रियाकलाप

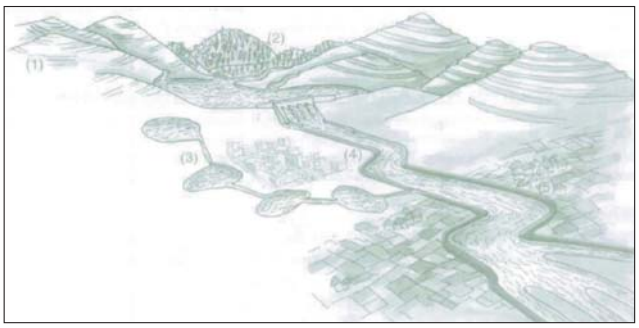

- देश में एक प्राकृतिक आपदा का चुनाव कीजिए ओर पता लगाइए यह आपदा क्या थी, यह कहां और कब आई।
- स्थानीय समुदाय, विभिन्न जीवन-रेखाओं और अनिवार्य सेवाओं पर इस आपदा का क्या प्रभाव पड़ा?
- क्या स्थानीय लोग तैयार थे और क्या उनके पास कोई आकस्मिक योजना थी?
- पीड़ित लोगों को किस किस्म की परेशानियां झेलनी पड़ीं और उन्होंने आपदा के दौरान तथा आपदा के पश्चात् उनका सामना कैसे किया?
- आपके विचार में नुकसान न होने देने के लिए समुदाय और प्रशासन द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए थे?
- थोड़े से शब्दों में यह बताइए कि इस प्रकार की आपदा के फिर से आने पर इससे बचाव करने के लिए समुदाय द्वारा इसके प्रभाव को कम करने तथा तैयारी संबंधी क्या उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

## अभ्यास

1. समुदाय की आकस्मिक योजना की परिभाषा वर्णन कीजिए और योजना की आवश्यकता के बारे में दो कारण दीजिए?
2. समुदाय की आकस्मिक योजना के चार तत्वों का नाम बताइए अथवा यह बताइए कि समुदाय की आकस्मिक योजना में क्या-क्या शामिल होना चाहिए?
3. यह बताइए कि संसाधन नक्शे में क्या-क्या होना चाहिए?
4. चार विभिन्न कार्य बलों की पहचान बताइए और प्रत्येक कार्य बल के दो-दो उत्तरदायित्वों का उल्लेख कीजिए?

## आगे और अध्ययन के लिए संदर्भ

www.ndmindia.nic.in

www.osdma.org

www.gsdma.org

http://www.undmpt.org/modules_e.htm

(ए बुक ऑन इन्ट्रोडक्शन टू नेचुरल हेजार्ड्स, थर्ड एडीशन डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, यूएनडीपी डीएचए 1997)

http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/10thvolume1/v1_ch7 pdf (Chapter7-Disaster Management : The Development Perspective)

# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

'शिक्षा केन्द्र' 2, कम्युनिटी सेन्टर,
प्रीत विहार, दिल्ली-110 092, भारत
फोन : 91-011-22509252-57/59, फैक्स : 91-011-22515826
ई-मेल : cbsedli@nda.vsnl.net.in
वेबसाइट : www.cbse.nic.in